न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :– 268/2016

बउनवान

1– बलराम पुत्र सीताराम जाति मीना निवासी कादरपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ
2– प्रहलाद पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी कादरपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ
3– प्रेम पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी कादरपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ
4– हेमराज पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी कादरपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ
5– बाबूलाल पुत्र मथरालाल जाति मीना निवासी कादरपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ
6– रामभरोसी बेवा सीताराम जाति मीना निवासी कादरपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ
7– सुनीता पुत्री सीताराम जाति मीना निवासी कादरपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ
8– ममता पत्नि बलराम जाति मीना निवासी कादरपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांटगण)

बनाम

रमेश पुत्र बृजलाल जाति मीना निवासी कादरपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.)

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 6/2014 मे पारित आदेश दिनांक 4.5.2016 अन्तर्गत धारा 183 (बी)

उपस्थित :– 1– श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक **(अपीलांटगण)**
2– श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 21.1.2019

अपीलांटगण द्वारा जर्ये अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) के तहत प्रकरण संख्या 6/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 4.5.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 1.7.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील छबडा द्वारा दिया गया निर्णय पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 4.5.2016 को यह निर्णय दिया कि भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 02 बीघा वाके ग्राम कादरपुरा तहसील छबडा की आराजी पर से अपीलांट्स को बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेन्ट रमेश के पक्ष मे निर्णय देकर कानूनी भूल की है। यह कि भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 02 बीघा वाके ग्राम कादरपुरा तहसील छबडा की आराजी को रेस्पोडेन्ट रमेश द्वारा दिनांक 12.5.2015 को जर्ये रजिस्टर्ड दस्तावेज ममताबाई अपीलांट्स को बेचान कर कब्जा ममताबाई को संभला दिया है। इस जमीन को ममताबाई द्वारा

2,20,000/– रूपये मे खरीद की है। जिसका नगद भुगतान रेस्पोडेन्ट रमेश को उसी समय किया जा चुका है। यह कि इस जमीन का इंतकाल खोलने के लिए रजिस्ट्री हल्का पटवारी को दे दी गई थी। लेकिन जमीन पर गिरवी का नोट होने से हल्का पटवारी द्वारा इंतकाल नही खोला गया। यह कि हल्का पटवारी द्वारा इंतकाल नही खोलने से और खाते मे नाम होने से रमेश ने नाजायज फायदा उठाकर यह वाद पेश किया। जिसमे त्रुटिपूर्ण निर्णय दिया गया। जो काबिल निरस्तनीय है। यह कि रमेश ने स्वंय रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा बेचान किया गया है। जिसकी नकल छायाप्रति अपील के साथ संलग्न की गई है। नकल फैसले का ज्ञान हल्का पटवारी द्वारा बताने पर हुआ है। जिसकी नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 6.6.2016 को लगाया गया ओर नकल मिलते ही अपील अन्दर मियाद पेश की गई। यह कि न्यायालय तहसील मे कहा था कि अपने राजीनामा हो गया है और मैं कोई कार्यवाही नही करूंगा ओर तुम अदालत मे मत आना। इसलिए हम न्यायालय मे नही गए। इसने धोखा देकर गलत तथ्य बताकर गलत निर्णय करवाया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील छबडा द्वारा दिया गया निर्णय दिनांक 4.5.2016 को निरस्त कर, हल्का पटवारी को इंतकाल अपीलांट के पक्ष मे खोलने का आदेश प्रदान करे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई है। चूंकि ग्राम कादरपुरा तहसील छबडा मे खाता संख्या 29/24 की भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 02 बीघा की आराजी को रेस्पोडेन्ट रमेश पुत्र बृजलाल मीना द्वारा दि. 12.5.2015 को समय 14:55 बजे जर्ये रजिस्टर्ड दस्तावेज, अपीलांट्स कम 8 ममताबाई पत्नि बलराम मीना को 2,20,000/– रूपये मे बेचान कर दिया गया था, ओर दिनांक 12.5.2015 को ही एक इकरारनामा बलराम पुत्र छीतर मीना एवं ममताबाई पत्नि बलराम मीना निवासी कादरपुरा द्वारा 50/– रूपये के स्टाम्प पर किया गया है कि राशि 2,20,000/– हम बलराम एवं ममताबाई के द्वारा खातेदार रमेश को दिए जावेगे तथा खातेदार हमारे पक्ष मे विधिवत उपरोक्त भूमि का विक्रय पत्र निष्पादन कराएगा। इसके पेटे आज रूबरू गवाहान हमने रमेश आत्मज बृजलाल मीणा को 1,20,000/– रूपये नगदी अदा कर दिये है तथा रमेश उपरोक्त आराजी का हमारे पक्ष मे आज विधिवत विक्रय पत्र का निष्पादन करवा रहा है। जिसकी रजिस्ट्री ममताबाई के नाम करवाई जाएगी। उपरोक्त बेचान के पेटे 1,00,000/– रूपये देना शेष है, यह 1,00,000/– रूपये 2/– रूपए प्रतिमाह प्रतिसैकडा की दर से एक वर्ष के अन्दर–अन्दर तदानुसार दिनांक 12.5.2016 तक हमारे द्वारा रमेश को अदा कर दिए जाएगे। जिस रकम के माध्यम से जो उपरोक्त भूमि बैंक मे रहन है, के पेठे जमा करवाकर बैंक से रहनमुक्ति का नोट रमेश के द्वारा हटवाया जाएगा। जिससे हम भविष्य मे हमारे पक्ष मे आराजी का इंतकाल खुलवाकर अपने खाते दर्ज करा सके। अपीलांटगण द्वारा शेष रही 1,00,000/– रूपये की राशि आदिनांक तक रमेश पुत्र बृजलाल को नही दी गई है। इसी दौरान अपीलांटगण द्वारा एक रिव्यू प्रार्थना पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा खारिज किया गया है।

इस प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट छबडा के प्रकरण संख्या 100/2016 मे पारित आदेश दिनांक 11.8.2016 के विरूद्व निगरानी न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश छबडा मे अपीलांटगण द्वारा करने पर, माननीय न्यायालय के प्रकरण संख्या 69/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 3.10.2016 से प्रतिप्रेषित किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट छबडा द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस को सुना जाकर निर्णय दिनांक 22.11.2016 से रमेश पुत्र बृजलाल मीना निवासी कादरपुरा का प्रार्थना पत्र धारा 145, 146 सी.आर.पी.सी. का खारिज किया गया है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) के तहत प्रकरण संख्या 6/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 4.5.2016 एवं सम्पूर्ण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया है। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण मय अभिभाषक श्री सोमेश गालव उपस्थित हुये है ओर काफी अवसर देने के बाद भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर पत्रावली को दि. 15.3.2015 को एक्सपार्टी समरी ट्रायल मे ली जाकर, निर्णय दिनांक 4.5.2016 को पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण द्वारा रिव्यू का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किया गया है ओर दि. 12.5.2015 को रजिस्टर्ड दस्तावेज से ग्राम कादरपुरा तहसील छबडा मे खाता संख्या 29/24 की भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 02 बीघा को रेस्पोडेन्ट रमेश पुत्र बृजलाल मीना द्वारा अपीलांट क्रम 8 ममताबाई पत्नि बलराम मीना को बेचान किया गया है ओर दि. 12.5.2015 को ही ममताबाई पत्नि बलराम मीना द्वारा एक इकरारनामा भी दिया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है, जिसमे लिखा है कि हम बलराम एवं ममताबाई के द्वारा खातेदार रमेश को 2,20,000/—रूपये दिये जावेगे। खातेदार हमारे पक्ष मे विधिवत उपरोक्त भूमि का विक्रय पत्र निष्पादन कराएगा। इसके पेटे आज रूबरू गवाहान हमने रमेश आत्मज बृजलाल मीना को राशि 1,20,000/— रूपये नगदी अदा कर दिए है तथा शेष राशि 1,00,000/— रूपये 2/— रूपए प्रतिमाह प्रतिसैकडा की दर से एक वर्ष के अन्दर—अन्दर तदानुसार दिनांक 12.5.2016 तक रमेश पुत्र बृजलाल मीना को ममताबाई पत्नि बलराम मीना द्वारा चुकाई जानी है। उक्त शेष राशि 1,00,000/— रूपये इकरारनामे अनुसार अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्ट को चुकाई गई अथवा नही चुकाई गई प्रस्तुत अपील मे कही अंकित नही किया गया है ओर ना ही दौराने बहस अपीलांट के अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया गया है, मात्र यह अपील मे अंकित किया एवं बहस मे कहा गया है कि सम्पूर्ण राशि रजिस्ट्री के दौराने रेस्पोडेन्ट को चुका दी गई थी। यदि अपीलांटगण द्वारा सम्पूर्ण राशि रजिस्ट्री के दौरान रेस्पोडेन्ट को चुका दी गई थी, तो इकरारनामे का औचित्य क्या था। अपीलांटगण के अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी) के तहत प्रकरण संख्या 6/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 4.5.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.1.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां